



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228502
CG-DL-E-27072021-228502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]
No. 411]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SHRAVANA 5, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 509(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 148 और धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 में, नियम 12 में,-
(क) उपनियम (1) में, आरंभिक भाग में, “ या धारा 148 की उपनियम (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “या धारा 148” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
(ख) उपनियम (5) में, “2019” अंकों के स्थान पर, “2020” अंक रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 82 /2021/फा. सं. 370142/29/2021-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 472(अ), तारीख 07 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।